न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, चॉचौडा जिला गुना (म.प्र.)

Regisration No. BA/175/2022
Filing No. BA/1276/2022
CNR No. MP0807001442/2022
Filing Date -11-10-2022

प्रद्युमन पुत्र फूलसिंह जाति मीना आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम देहरी थाना कुंभराज जिला गुना म.प्र.

.....**आवेदक**

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र कुंभराज जिला गुना म.प्र.

.....**अनावेदक**

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12.10.2022

12-10-2022 आवेदक/आरोपी प्रद्युमन की ओर से श्री जयराज सिंह खींची अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री शफीक खान, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना कुंभराज जिला गुना के अपराध क्रमांक 261/2022 अंतर्गत आयुध अधिनियम की धारा 25/27 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चाचोडा के न्यायालय से सुसंगत रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर सुना गया।

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र में प्रकट किया गया है कि यह आरोपी का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है न ही निरस्त हुआ है। समर्थन में फूलसिंह पुत्र रामप्रसाद जाति मीना आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम देहरी थाना कुंभराज जिला गुना का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र में प्रकट किया गया है कि उसका तथाकथित अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है, उसे मिथ्या प्रकरण में आलिप्त किया गया है वह निर्दोष है। वह दिनांक 07.10.2022 से अभिरक्षा में है। आरोपी कुंभराज का स्थाई निवासी है , उसके भागने या फरार होने की या साक्ष्य प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। अधिक समय तक निरोध में रहने से प्रार्थी का परिवार संकट में पड जाएगा। वह अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने को तत्पर है। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जावे।

अभियोजन की ओर से आवेदनपत्र का विरोध किया गया है।

केस डायरी का परिशीलन किया गया।

केस डायरी में दिनांक 06.10.2022 को 13 बजे के लगभग सानई रोड गैस गोदाम के सामने कुंभराज में आरोपी के आधिपत्य से एक धारदार लौहे का फर्सा जप्त किया जाना दिखाया गया है और जिसके संबंध में यह अभिकथित है कि आरोपी के पास उक्त हथियार को रखने का कोई लाईसेंस नहीं था। परिणामस्वरूप आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध थाना कुंभराज में पंजीबद्ध किया जाना और विवेचनाधीन होना, केस डायरी से दर्शित होता है।

केस डायरी से यह भी प्रकट होता है कि मामले में विवेचना पूर्ण की जा चुकी है, मात्र अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना है।

आरोपी दिनांक 06.10.2022 से अभिरक्षा में है। उसके द्वारा मामले के विचारण में सहयोग करने की वांछा प्रकट की गई है। अपराध मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और वह मजिस्ट्रेट द्व ारा विचारणीय है। आरोपी स्थानीय निवासी है, उसके भागने अथवा फरार होने की संभावना भी दर्शित नहीं होती है। मामले के विचारण में समय लगने की संभावना है। मामले के विचारण तक आरोपी को अभिरक्षा में रखे जाना यह न्यायालय उचित नहीं पाता है।

अतः विचारोपरांत आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स स्वीकार किया जाता है और आरोपी को निर्देशित किया जाता है कि यदि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चाचोडा की संतुष्टि योग्य 25000/– रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र, न्यायालय द्वारा नियत की जाने वाले प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने बाबत्, मामले के विचारण में सहयोग करने बाबत् तथा धारा 437 (3) द.प्र.स में यथा उल्लेखित शर्तों की पूर्ति बाबत् प्रस्तुत करे, तब उसे छोडा जावे।

आदेश की प्रति सहित मामले की केस डायरी वापस की जावे।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड पत्रावली के साथ संलग्न कर उक्त पत्रावली न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चाचौडा की ओर भेजी जावे।

जमानत आवेदन पत्र का परिणाम पंजी में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश पत्रिका मय संलग्न पत्रक अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
(संजय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
चॉचौड़ा, जिला गुना (म0प्र0)